मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 5 अगस्त 2006

संशोधन अधिसूचना

क्रमांक.1975/म.प्र.वि.नि.आ./06– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (2) (व्ही), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181(2) (डब्ल्यू), धारा 47 (2), 47(3) एवं 47(5) सहपठित धारा 181(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2560–विनिआ–04 दिनांक 22 सितम्बर 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 में चतुर्थ संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप), विनियम, 2004 (चतुर्थ संशोधन)' (एजी–17 (iv), वर्ष 2006)''**, कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. विनियम 1.18 में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 के **विनियम 1.18** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् :

''1.18 वे निम्नदाब उपभोक्ता, जो कि एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार मासिक देयकों के भुगतान न करने के दोषी पाये गये हों तथा जिनके प्रतिभूति निक्षेप स्तर की वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 90 दिवस के उपभोग स्तर के बराबर वृद्धि कर दी गई हो, वे प्रतिभूति निक्षेप के प्रत्यर्पण/समायोजन की पात्रता रखेंगे यदि वे मासिक देयक के अंतिम भुगतान में दोषी पाये जाने के छ' माह तक नियमित रूप से देयकों का भुगतान करते हुए पाये जाते हों। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रकरणों में मामले की समीक्षा करेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप स्तर को पुनः 45 दिवस के बराबर प्रतिस्थापित करेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की बकाया राशि को छः माह की अवधि के पश्चात् जिनके अंतर्गत नियमित भुगतान प्राप्त किये गये हों, के दो माह के भीतर उपभोक्ओं को, उनके विद्युत देयकों में समायोजन द्वारा प्रत्यार्पण करेगा।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव